



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2016/चैत्र 3, 1937

No. 191]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2016/CHAITRA 3, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016

**सा.का.नि. 335(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27, 41, 50 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

**प्रारूप नियम**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, उपनियम (ग) के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(य-कक) “मोटर कारवां” से विशेष प्रयोजन के लिए रहने का वास-सुविधाएं सम्मिलित करने की लिए निर्मित एम श्रेणी का यान अभिप्रेत है जिसमें कम से कम निम्नलिखित उपस्कर अन्तर्विष्ट होंगे।

- (i) सीटें और टेबल ;
- (ii) सोने की वास-सुविधा जो सीटों से संपरिवर्तित की जा सकती है ;
- (iii) खाना पकाने की सुविधाएं ; और
- (iv) भण्डारण सुविधाएं,

जो रहने के कक्ष के साथ दृढ़ता से जुड़ी होंगी :

परंतु टेबल सहज स्थानान्तरणीय होने के लिए परिकल्पित हो सकेगी।

(य-क ख) “सड़क होगी वाहन” सड़क रोगी वाहन विशेष रूप से सज्जित और श्रम दक्षता की दृष्टि से परिकल्पित यान है जो बीमार या क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के परिवहन या आपात उपचार के लिए और जब समुचित रूप से इसमें कर्मचारिवृंद हो उसके अभिहित देखभाल स्तर के अनुरूप परिवहन के दौरान या जब वह खड़ा हो अस्पताल चिकित्सा देखभार प्रदान करने के लिए सक्षम हो।

(य-ग) “विद्यालय बस” से विद्यालय जाने वाले बालकों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित और निर्मित यान अभिप्रेत है।

(य-कघ) “विशेष प्रयोजन यान” से श्रेणी एम, एन या डी का ऐसा यान अभिप्रेत है जो कृत्यों जिसमें विशेष इंतजाम या उपस्कर अपेक्षित है, का पालन करने के लिए विनिर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताएं रखता हो।

3. उक्त नियमों के नियम 108 में, 1 अप्रैल, 2017 पर या उसके पश्चात्, उप-नियम (1) के परंतुक के, खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“एआईएस-125 (भाग-1)-2014 के उपाबंध -1 के अनुसरण में सड़क रोगी वाहन पर लगे हुए चेतावनी दीप”

4. उक्त नियमों के, नियम 108 में उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक 1 अप्रैल 2017 को और उसके पश्चात् सड़क रोगी वाहन पर लगी हुई ऊपर की बत्तियां (चेतावनी दीप) इसमें विनिर्दिष्ट सभी प्रकार के रोगी वाहन के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:125 (भाग 1)-2014 के अनुसरण में होगी।

5. उक्त नियमों, में, नियम 125-5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**“125- एम और एल श्रेणियों के यानों के सड़क रोगी वाहनों का प्रकार अनुमोदन।**

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी.बी. आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक, 1 अप्रैल, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एल श्रेणियों के सड़क रोगी वाहन, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:125(भाग 1) 2014 के अनुसरण में होंगे।”

**125-छ विशेष प्रयोजन यानों के लिए प्रकार अनुमोदन.-** (i) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भी बी. आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक अधिसूचना की तारीख पर

और उसके छः मास के पश्चात् विनिर्मित मोटर कारवां समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-124 :2014 में कथित अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक उक्त मानकों के खंड 0.0 (ख) के अधीन यथा अनुज्ञात विद्यमान यानों पर बनाये गए मोटर कारवां भी समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-124:2014 के अनुपालन में होंगे।

6. उक्त नियमों के, प्रारूप 22-क में,-

(i) अंकों और अक्षरों "125ग" के स्थान पर अंक और अक्षर "125च, 125छ" अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) मद 4 और 5 के स्थान पर निम्निलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"\*4 बस बाड़ी निर्माणकर्ता प्रत्यापन प्रमाणपत्र संख्यांक.....तारीख.....तारीख तक विधिमान्य होगा।

5. अनुमोदित परीक्षण अभिकरण द्वारा जारी यान बाड़ी निर्माण (बस सड़क रोगी वाहन मोटर कारवां आदि) प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्यांक.....तारीख .....।"

[सं. आरटी-11028/10/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.....(अ) तारीख.....द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2016.

**G.S.R. 335(E).**—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 27, 41, 50, 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in official Gazette, are made available to the Public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

### DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (---Amendment) Rules, 2016.

- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 2, after sub-rule (z), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(z-aa) **“Motor Caravan”** means a special purpose M category vehicle constructed to include living accommodation which contains at least the following equipment:-

- (i) seats and table;
- (ii) sleeping accommodation which may be converted from the seats;
- (iii) cooking facilities; and
- (iv) storage facilities,

which shall be rigidly fixed to the living compartment:

Provided that the table may be designed to be easily removable.

(z-ab) **“Road Ambulance”** Road Ambulance is a specially equipped and ergonomically designed vehicle for transportation or emergent treatment of sick or injured people and capable of providing out of hospital medical care during transit or when stationary, commensurate with its designated level of care when appropriately staffed.

(z-ac) **“School Bus”** means the vehicles designed and constructed specially for school going children.

(z-ad) **“Special Purpose Vehicle”** means a vehicle of category M, N or T having specific technical features in order to perform a function which requires special arrangements or equipment.

3. In rule 108 of the said rules, on and after 1<sup>st</sup> April, 2017, in sub-rule (1), in the proviso, for clause (iv), following clause shall be substituted namely:-

“ the warning lamps fitted on road ambulance in accordance with Annexure-1 of AIS-125 (part-1)-2014~.

4. In the said rules, in rule 108 after sub rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(7) On and after 1<sup>st</sup> April, 2017, the top lights (warning lamps) fitted on road ambulances shall be in accordance with AIS:125 ( Part 1) – 2014 as amended from time to time, for all types of ambulances specified therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 ( 63 of 1986).

5. In the said rules, after rule 125-E, the following rule shall be inserted, namely:—

**“125 F - Type Approval of Road Ambulances of Vehicle categories M and L.**

Road Ambulances of M and L categories manufactured on and after the 1<sup>st</sup> April, 2017, shall be in accordance with AIS:125 (Part 1) – 2014 as amended from time to time, for all types of ambulances specified therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 ( 63 of 1986).”~.

**125-G Type Approval of Special Purpose Vehicles.- (i)** The Motor Caravans manufactured on and after six months from the date of notification shall comply with the requirements stated in AIS-124 :2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

The Motor Caravans built on the existing vehicles as permitted under the clause 0.0 (b) of the said standard shall also comply to AIS-124:2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”~.

6. In the said rules, in Form 22-A-

(i) after figures and letters “125C”, the figures and letters “125F, 125G” shall be inserted;

(ii) in for items 4 and 5, the following items shall be substituted, namely:-

“ \*4. Bus Body Builder Accreditation Certificate Number \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Valid upto date \_\_\_\_\_.

5. Vehicle Body construction (Bus / Road Ambulance / Motor Caravan / etc.) Type Approval Certificate Number \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ issued by the approved Test Agency.”.

[No. RT-11028/10/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. dated \_\_\_\_\_.